इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल 2017—चैत्र 21, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-7-35-2013 उन्तीस-1.—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 20) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन की अधिसूचना क्र. एफ 7-35-2013-उन्तीस-1 दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 में निर्दिष्ट शक्तियों एवं कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य खाद्य आयोग घोषित किया गया था.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी, 2014 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (1) एवं (2) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार मध्यप्रदेश खाद्य आयोग का गठन करता है:—

क—अध्यक्ष

ख—पांच अन्य सदस्य

ग—सदस्य सचिव (राज्य शासन का अपर सचिव स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी)

3. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) में उल्लेखित योग्यताधारी व्यक्तियों से समाचार-पत्र एवं अन्य संचार माध्यमों से विज्ञापन के द्वारा आवेदन राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आमंत्रित किये जाऐंगे.

4. अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति पृथक से अधिसूचित होने वाले मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-7-35-2013 उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2017

No. F-7-35-2013-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred under Section18 of National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), the State Government *vide* its notification No. F-7-35-2013-XXIX-1 dated 26th February, 2014, had designated The Madhya Pradesh State Consumer Dispute Redressal Commission to exercise the powers and to perform the functions of the State Food Commission referred to in Section 16 of the National Food Security Act, 2013.

2. In supersession of the above said notification the State Government in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of Section 16 of National Food Security Act, 2013 constitutes an independent Madhya Pradesh Food Commission as under ;-

(a) Chairperson
(b) Five Other Members
(c) Member Secretary (Officer not below the rank of Additional Secretary of the State Government)

3. Applications shall be invited through advertisment in news papers and other means of communication from the eligible person as per eligibility mentioned in sub-section (3) of Section 16 of the said act by the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection of the State Government.

4. The Appointment to the posts of chairperson and members shall be made in accordance with the procedure prescribed in Madhya Pradesh Food Security rules, 2017 being notified separately.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B.K. CHANDEL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.